कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221736
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 22269

पत्रांक : कु0स0–2 B स0आ0/4769/ 01–257–2014/2015 दिनांक : 3 अप्रैल, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय,
करमाजीतपुर, सुन्दरपुर,
वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 810/सत्तर–6–2014–2(427)/2014 दिनांक 24.06.2014 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37 (2) परन्तुक के अधीन दी गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 19.09.2014 के साथ संलग्न शपथ पत्र व एवं पत्र दिनांक 27.03.2015 के साथ संलग्न सत्र 2013–14 का परीक्षाफल मानकानुसार (50 प्रतिशत) होने की स्थिति में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.10.2014 के बिन्दु सं0–22 के उप क्रमांक–4 (वाराणसी) पर लिये गये निर्णय एवं माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, करमाजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता (स्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
2. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा भविष्य में शर्तें पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:–

   37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

   37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

   37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धो के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

....2